# शहरों में श्मशानों द्वारा भयंकर वायु प्रदूषण

पुराने जमाने में श्मशान शहर की सीमाओं से दूर बनाये जाते थे, जिससे कि मुर्दों को जलाते समय उठने वाले जहरीला धुआँ से शहरवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर नहीं हो। समय के साथ शहरों का विस्तार होता गया और ये श्मशान शहर की सीमाओं के अन्दर कॉलोनियों में आ गये। श्मशानों के चारों तरफ घनी आबादी बस गई। नतीजा यह हुआ कि जब भी किसी मुर्दे को जलाया जाता है, तब उससे उठने वाले जहरीले धुआँ से जनजीवन बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। कई बार तो यदि सूखी लकड़ियाँ नहीं मिले, तब गीली लकड़ियों से ही मुर्दे को जला दिया जाता है। ऐसी स्थिति में चिता से उठने वाला धुआँ बहुत ही जहरीला और दमघोटू होता है। उस पर तुर्रा यह है कि शाम के समय यदि चिता जलना शुरू होती है, तब मृतक के परिवार के सदस्य तो जल्दी ही घर चले जाते हैं, तब उन चिताओं की अधजली लकड़ियाँ और कोयले तक श्मशानों के आसपास रहने वाले, अपने घर खाना पकाने हेतु ले जाते हैं। इन अधजली चिताओं से रात भर तीखी गंध वाला जहरीला धुआँ उठता रहता है और श्मशान के चारों ओर की कॉलोनियों में चुपचाप फैलता रहता है।

इस बारे में किसी भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोई वैज्ञानिक शोध भी नहीं कराई है और ना ही किसी का ध्यान इस ओर गया है। इसलिए इस प्रकार जन-जीवन को भयंकर रूप से दुष्प्रभावित करने वाले प्रदूषण को रोकने का प्रयास भी नहीं किया गया है।

यह भी सत्य है कि श्मशानों की जमीनों पर अतिक्रमण करके कई लोगों ने मकान बना लिए हैं और सार्वजनिक उपयोग की जमीनों को व्यवसायिक और रिहाइशी कार्यों में लिया जा रहा है। कई श्मशान तो 20-25 बीघा जमीन में फैले हुए हैं। उदाहरण के लिए, जयपुर का प्रसिद्ध चाँदपोल श्मशान घाट जयपुर महानगर के बीचोंबीच करीब 30-40 बीघा जमीन में फैला हुआ है और धीरे धीरे लोग अतिक्रमण करके इसकी जमीन पर अपने घर बनाते जा रहे हैं। यदि इस श्मशान घाट को जयपुर से बाहर स्थानांतरित कर दिया जावे तो इसकी जमीन पर जयपुर मेट्रो रेल का डिपो बनाया जा सकता है। यह सार्वजनिक भूमि सरकार द्वारा अधिगृहीत की जाकर मेट्रो रेल को दी जा सकती है। कोई हिम्मतवाला मुख्यमंत्री ही इस कार्य को करके नाम कमा सकता है और जयपुर की जनता को स्वच्छ वायु प्रदान कर सकता है।